रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 301] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 16, 1983/श्रावण 25, 1905
No. 301] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 16, 1983/SRAVANA 25, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 1983

सा. का. नि. 628(अ) :—केन्द्रीय सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 7(2) (ख) के साथ पठित धारा 3, उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कोचीन पोर्ट के न्यासी मण्डल में सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद कलक्टर, कोचीन के स्थान पर सीमा-शुल्क विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए सीमा-शुल्क कलक्टर, कोचीन को न्यासी नियुक्त करती है तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय (पत्तन पक्ष) में भारत सरकार की

के विनिर्माण के लिए भारत में आयात किया जाए, उक्त पहली अनुसूची के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क के उतने भाग से छूट देती है जितना मूल्य क 60 प्रतिशत की दर पर संगणित रकम से अधिक है ।

सारणी

स्टेनलेस स्टील की ट्यूबों के विनिर्देश

(1) निकेल अंश—30 प्रतिशत से 35 प्रतिशत,

(2) क्रोमियम अंश—19 प्रतिशत से 23 प्रतिशत,

(3) व्यास—15 मि. मी. अधिकतम, और

(4) दीवार की मोटाई—1.2 मि. मी. अधिकतम ।

[फा. सं. 355/123/82-सी.शु.-1]

एन. शशिधरण, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th August, 1983

No. 228A|83-CUSTOMS

G.S.R. 629(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts stainless steel tubes having the specifications mentioned in the Table annexed hereto and falling within Chapter 73 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India for the manufacture of electrical heating elements, from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon under the said First Schedule as is in excess of the amount calculated at the rate of 60 per cent ad valorem.

TABLE

Specifications of stainless steel tubes

(i) Nickel content—30 per cent to 35 per cent,

(ii) Chromium content—19 per cent to 23 per cent,

(iii) Diameter—15mm maximum, and

(iv) Wall thickness—1.2mm maximum.

[F. No. 355|123|82-Cus-I]

N. SASIDHARAN, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983